न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 02 / 2014

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. कोयली पत्नी बंशीलाल जाति बावरी निवासी झूपेलाव तहसील सोजत जिला पाली		1. मंगलाराम पुत्र नवलाराम जाति बावरी निवासी झूपेलाव तहसील सोजत 2. पन्ना पुत्र मोतीजी के का0मु0 2.1 गंगादेवी पत्नी रमेश जाति बावरी निवासी रामासिया तहसील पाली 2.2 हस्तीमल पुत्र पेमाराम जाति बावरी नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता पेमाराम पुत्र भीमाराम जाति बावरी निवासी झूपेलाव 3. तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.9.2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 107 / 2012 (72 / 09) में पारित निर्णय एवं डिक्री 30.12.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम झूपेलाव के गत खसरा नम्बर 232 में से 24 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर सम्वत् 2010 से पूर्व से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता नवलाराम का कब्जा काश्त था। इसी आधार पर मिसल संख्या 1878 / 66–67 के द्वारा गत खसरा नम्बर 232 मी0 में से 24 बीघा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 16.11.1967 को नियमन की गई थी। इसी दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भी मिसल संख्या 1863 द्वारा गत खसरा नम्बर 234 में से 4 बीघा भूमि नियमन की गई थी, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 424 बने है। उपरोक्त दोनों नियमन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 207 अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज ही नहीं किया। इसी प्रकार गत भू–प्रबन्ध के दौरान वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के गत खसरा नम्बर 225 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 425 बने, जिसका रकबा 0.70 हैक्टेयर दर्ज किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के गत खसरा नम्बर 234 रकबा 4 बीघा के हाल खसरा नम्बर 424 बने जिसका रकबा 0.95 हैक्टेयर दर्ज कर दिया, जो करीब 0.36 हैक्टेयर अधिक दर्ज किया, जो भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की होना बताया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान की है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील वादस्थ भूमि की खातेदारी घोषित कराने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष्ज्ञ बतौर वादी वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किसी भी रूप में न तो जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं जो तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जाहिर किए, उनसे पृथक जाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाकर विधि विरूद्ध रूप से उन तनकीयात को विनिश्चित किया गया। चूंकि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की खरीदसुदा खातेदारी भूमि है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को शून्य घोषित करवाए बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय ही नहीं था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वाद को डिक्री किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने की कोशिश की कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिसल संख्या 1878 द्वारा खसरा नम्बर 232 में से 24 बीघा 3 बिस्वा भूमि नियमन की है एवं उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 207 केवल प्रतिवादी पना के नाम दायर किया गया है। इस सन्दर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से ही स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 232 में से वादी स्वयं को मिसल संख्या 1878 द्वारा 24 बीघा 3 बिस्वा भूमि को नियमन करना बताता है। यदि इस आधार पर नामान्तरकरण संख्या 207 पारित किया गया होता, तो नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 12 में खसरा नम्बर 232 का रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा दर्ज होता, जबकि नामान्तरकरण संख्या 207 में खसरा नम्बर 232 का रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है। खसरा नम्बर 232 का कुल रकबा 45 बीघा 15 बिस्वा था, उसमें से 20 बीघा 5 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को नियमन हुआ, इसके पश्चात 25 बीघा 10 बिस्वा भूमि शेष रहती है, जिसका यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नियमन हुआ होगा, तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उससे कोई सरोकार नहीं है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 207 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को नियमन हुई भूमि के सन्दर्भ में दायर किया गया था। इस विषय पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर ही नहीं किया तथा न ही इस बिन्दु

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी रूप में विवेचन किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 पूर्ण रूप से रेकर्ड एवं तथ्यों के विपरित विनिश्चित की, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3, 4, 7 से 9 को भी गलत रूप से विरचित कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के विपरित जाकर वादी के पक्ष में निर्णीत की है। उक्त इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में सन् 1968 से लगातार चले आ रहे है, जिसे वादी ने करीब 40 वर्षो पश्चात चुनौती दी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (1) (iv) अनुसार 12 वर्ष बाद खातेदार के सारे अधिकार निर्वापित हो जाते है, साथ ही कब्जा लेने के अधिकार भी समाप्त हो जाते है। जो इन्द्राज 40 वर्षो से लगातार चले आ रहे है, इतनी लम्बी अवधि तक इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने से भी रेस्पोडेन्ट के हक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके थे। चूंकि इस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा ही नहीं था, तो इस स्थिति में वह खातेदारी घोषणा का वाद लाने की पात्रता ही नहीं रखता था। इस प्रकार वादी का वाद पोषणीय ही नहीं था। अतः इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत् किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर उन पर संग्रहित दस्तावेजी एवं परीक्षित हुए मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रकरण में जो भी त्रुटीयां हुई है, वह सेटलमेन्ट के दौरान हुई है। भू–प्रबन्ध अधिकारीयों द्वारा पुराने रेकर्ड से नया रेकर्ड तहरीर करते समय भूमि के क्षैत्रफल में रद्दोबदल कर दिया, जिसका उन्हे कोई अधिकार ही नहीं था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किया, इस त्रुटी का पता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को चलने पर उसने उक्त भूमि बिना कब्जा के ही अपीलाण्ट को बेच दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया है, जो रेकर्ड पर है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा प्रस्तुत किया है, उसमें स्वयं का कब्जा होने का कथन किया। पना का उक्त भूमि पर कब्जा कब से था एवं उक्त भूमि पना को कैस प्राप्त हुई, ऐसा कोई वर्णन नहीं किया। अपीलाण्ट के जवाबदावा के पद संख्या 3 में खसरा नम्बर 232 में पना को 20 बीघा व मंगला को 4 बीघा के आवंटन बाबत तथ्य अंकित किए, किन्तु आवंटन कैसे हुआ, किस मिसल के जरिए हुआ, ऐसी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए तनकीयात कायम की। अपीलाण्ट का यह उज्र रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में कोई तनकी कायम नहीं की गई, जबकि तनकी संख्या 6 व 10 इस सन्दर्भ में ही कायम की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अन्य जो उज्र अपीलाण्ट द्वारा अपील में लिए गए है, वे उज्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाए ही नहीं गए तथा न ही ऐसा कोई अनुतोष चाहा, तो बिना तथ्यों के तनकी कैसे बनेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई, उनका दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मुख्य परीक्षण में परीक्षित हुए साक्ष्यों से विश्लेषण करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात का पृथक पृथक विवेचन कर विनिश्चय किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो गवाह प्रस्तुत किए है, वे अपीलाण्ट के परिवारगण के सदस्य है, अपीलाण्टे द्वारा कोई भी स्वतन्त्र साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श–1 से प्रदर्श–21 मे दस्तावेज प्रस्तुत किए है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा एक भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिसका अपीलाण्ट द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया। यदि अपीलाण्ट को 20 बीघा आवंटन हुई होती, तो वे दस्तावेज प्रस्तुत करते। इसकी कोई प्लीडिंग ही नही है तथा न ही दस्तावेज है। इनकों 4 बीघा भूमि ही नियमन हुई है, रेकर्ड में इन्द्राज गलत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात जैर अपील निर्णय पारित कियेा है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य रूप से जो विवाद है, वह गत खसरा नम्बर 232 मी0 एवं गत खसरा नम्बर 234 में से हुए आवंटन तथा गत खसरा नम्बर 235 से नये खसरा नम्बर तहरीर करते वक्त भूमि के क्षेत्रफल में हुई कमी–बेशी से सम्बन्धित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का यह कथन रहा कि उसे गत खसरा नम्बर 232 मी0 में से 24 बीघा 3 बिस्वा की भूमि नियमितिकरण की गई, जिसके मिसल संख्या 1878/66–67 है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को गत खसरा नम्बर 234 में से 4 बीघा भूमि नियमन की गई, जिसके मिसल संख्या 1863 है। नामान्तरकरण संख्या 207 के जरिये जो इन्द्राज किया गया, उसमें रेस्पोड़ेन्ट संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 232 के 24 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 234 के 4 बीघा का बतौर खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम का इन्द्राज किया गया। उक्त विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 232 से हाल खसरा नम्बर 426 व 427 बने है तथा गत खसरा नम्बर 235 के हाल खसरा नम्बर 425 बने है। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 234 व 235 मी0 के नये खसरा नम्बर 424 बने। उक्त समस्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होते है, जो प्रदर्श–5 से प्रदर्श–9 है। प्रदर्श–7 के अनुसार मिसल संख्या 1878 के जरिये मंगला पुत्र सवला चौधरी को खसरा नम्बर 232 में से 24 बीघा 3 बिस्वा भूमि नियमन किया जाना अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श–8 के अनुसार मिसल संख्या 1863 के जरिये पनीया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पुत्र मोती बावरी को खसरा नम्बर 234 में से 4 बीघा भूमि नियमन किया जाना अंकित है। प्रदर्श–9 नामान्तरकरण है, जो मिसल संख्या 1878 व 1863 में पारित आदेश की पालना में दायर किया गया है, जिसमें खसरा नम्बर 232 में से 20 बीघा व खसरा नम्बर 234 में से 4 बीघा भूमि पना पुत्र मोती बावरी के नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त प्रविष्ठि इस कारण त्रुटीपूर्ण है, क्योंकि जब खसरा नम्बर 232 में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमि का नियमन ही नहीं किया गया, तो खसरा नम्बर 232 की हद तक उक्त प्रविष्ठि पूर्ण रूपेण विधि विरूद्ध है। अब रहा प्रश्न खसरा नम्बर 235 से निर्मित नये खसरा नम्बर में क्षेत्रफल की कमी–बेशी का, तो इस सम्बन्ध में प्रदर्श–3 के अनुसार खसरा नम्बर 235 रकबा 11 बिस्वा की भूमि नवला पुत्र किशना कौम बावरी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। खसरा नम्बर 235 से हाल खसरा नंम्बर 435 बने है, जिसका रकबा 0.60 हैक्टेयर दर्ज किया गया तथा खसरा नम्बर 235 की शेष भूमि एवं खसरा नम्बर 234 को सम्मिलित करते हुए नया खसरा नम्बर 434 बना है, जिसका रकबा 0.95 हैक्टेयर दर्ज किया गया, जबकि खसरा नम्बर 234 का कुल रकबा ही 4 बीघा ही था। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्य, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर वादी प्रकट किए, वे दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होतें है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रकट किए गए अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में अनुतोष सहित कुल 11 तनकीयात कायम की। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मुख्य परीक्षण में परीक्षित गवाहों के बयानात् आदि को दृष्टिगत रखते हुए वाद बहकं वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रबल दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकेारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2012 (72/09) में पारित निर्णय एवं डिक्री 30.12.2013 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली